

कार्यालय जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, कांकेर जिला -उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक / 200 / जियोसां / 13-जीव /

कांकेर दिनांक

प्रति ,

रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

.....

जिला- उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

fo"k; %&

tUe eR; qjftLVhdj.k vf/kfu; e ds vrxr /kkjk &13 1/2 ds vrxr foyfr
tUe eR; qidj.k ij vuqfr in vuqfr ckrA

&&00&&

श्री आत्मज श्री मूल निवासी ...

..... द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर उण्डधिकारी

तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

.....के आदेश क्रमांक //दिनांक के द्वारा

पारित आदेश /शपथ पत्र के तहत श्री आत्मज

..... जन्म मृत्यु का स्थान

जन्म मृत्यु दिनांकशब्दों में

..... के प्रकरण को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा -13 (2) के

अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण करने की निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

मूल शपथ पत्र आवेदन पत्र अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाण पत्र शुल्क की प्राप्ति रसीद के साथ केश कलेक्शन पंजी में दर्ज कर प्रकरण रजिस्ट्रीकरण कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।

**जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर**

कार्यालय जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, कांकेर जिला -उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक/200 /जियोसां/ 13-जीव/

कांकेर दिनांक

प्रति ,

रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं

ग्राम पंचायत सचिव/कर्मी

ग्राम पंचायत.....

जिला- उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

fo"k; %&

t le eR; q jftLVhdj.k vf/kfu; e ds vrxh /kkjk &13 1/2 ds vrxh foyfcr
t le eR; q idj.k ij vuøfr in vuøfr ckrA

&&00&&

श्री आत्मज श्री मूल निवासी ...

..... द्वारा प्रस्तुत कियो गये शपथ पत्र के आधार पर उण्डधिकारी

तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

.....के आदेश क्रमांक //दिनांक के द्वारा

पारित आदेश /शपथ पत्र के तहत श्री आत्मज

..... जन्म मृत्यु का स्थान

जन्म मृत्यु दिनांकशब्दों में

..... के प्रकरण को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा -13 (2) के

अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण करने की निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

मूल शपथ पत्र आवेदन पत्र अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाण पत्र शुल्क की प्राप्ति रसीद के साथ केश कलेक्शन पंजी में दर्ज कर प्रकरण रजिस्ट्रीकरण कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।

**जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर**